

विज्ञप्ति**विषय : फार्म मिसिंग के सम्बन्ध में**

उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली 1948 के नियम -12बी(20) एवं 25बी (12) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार का प्रयोग करते हुए एवं 30प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम -2008 की धारा-81 को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यापारियों से उनके नाम के सम्मुख निम्नलिखित फार्म मिसिंग की सूचना प्राप्त हुई है। अतः इन फार्मों का प्रयोग अवैध होगा :-

क्र० सं०	व्यापारी / फर्म का नाम व पता	फार्म की संख्या	अवैध घोषित होने का कारण	संख्या
1	मेसर्स श्री दुर्गा उद्योग खरेला	फार्म-3ग(1) संख्या-148336	खोने के कारण	01
2	मेसर्स विकास ट्रेडर्स, महोबा	फार्म-3ग(1) संख्या-012963	खोने के कारण	01
3	मेसर्स अशोक ट्रेडर्स, श्रीनगर	फार्म-3ग(1) संख्या-041882	खोने के कारण	01
4	मेसर्स श्री राम ट्रेडिंग कम्पनी, चरखारी	फार्म-3ग(1) संख्या-087741	खोने के कारण	01

(भारत सिंह) 31.3.08

एडीशनल कमिश्नर (विधि)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पू०प०सं० एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अधीक्षण मुद्रण लेखन सामग्री, 30प्र0 इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा गजट की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त कराने का कष्ट करें।
- 2- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, 30प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 3- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, 30प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 4- महालेखाकार, 30प्र0 171-ए-अशोक नगर, इलाहाबाद।
- 5- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा०/अपील)वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 8- ज्वाइन्ट कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य) इलाहाबाद, लखनऊ।
- 9- समस्त असिस्टेंट कमिश्नर /वाणिज्य कर अधिकारी चाहें जिस कार्य में लगे हों।
- 10- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय।
- 11- सूचना केन्द्र को 5 अतिरिक्त प्रतियाँ।
- 12- मैनुअल अनुभाग वाणिज्य कर मुख्यालय को 5 प्रतियाँ एवं विधि अनुभाग को 15 अतिरिक्त प्रतियाँ।

(सुशील कुमार दुबे) 31/3/08

वाणिज्य कर अधिकारी (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय।